



Neutral Citation No. - 2026:AHC:35761

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-बी संख्या - 581/2026

श्रीमती अंगूरी देवी (दिवंगत) और 4 अन्य

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

प्रयागराज स्थित उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड और 11 अन्य

.....प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(कों) के अधिवक्ता : राजेश दत्ता पांडे

प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : अविनाश चंद्र श्रीवास्तव, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश दत्ता पांडे, प्रतिवादी-गांव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री अविनाश चंद्र श्रीवास्तव और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री आर.सी. श्रीवास्तव की दलीलें सुनीं।

2. यह रिट याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:

"प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 28.01.2026 को पारित आदेश को निरस्त करने के लिए सर्टिओरारी प्रकृति का रिट आदेश या निर्देश, मामला संख्या आर ई वी/5489/2025/मथुरा, कंप्यूटर केस संख्या ए एल20250150005489 श्रीमती अंगूरी देवी और अन्य बनाम अतिरिक्त उप-विभागीय अधिकारी द्वितीय मथुरा और अन्य, धारा 333 उत्तर प्रदेश जेड.ए. और एल.आर. अधिनियम 1950 के तहत, उस सीमा तक जहां तक प्रतिवादी संख्या 1 ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अंतरिम आदेश प्रदान नहीं किया है।"

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अंगूरी देवी (याचिकाकर्ताओं की माता) द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 144 के तहत दायर वाद को निचली अदालत ने 19.1.2021 को स्वीकार कर लिया था और यथास्थिति बनाए रखने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की थी। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्रतिवादियों ने उत्तर प्रदेश समेकन

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अधिनियम, 1953 (जिसे आगे "उत्तर प्रदेश समेकन अधिनियम" कहा गया है) की धारा 49 के तहत वर्जित होने के आधार पर वाद को खारिज करने के लिए आवेदन दायर किया था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्रतिवादियों द्वारा दूसरा आवेदन दायर किया गया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया और याचिकाकर्ताओं की माता द्वारा दायर वाद को उत्तर प्रदेश समेकन अधिनियम की धारा 49 के तहत वर्जित होने के आधार पर खारिज कर दिया गया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं के वाद को धारा 49 के तहत वर्जित होने के आधार पर खारिज करने के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका दायर की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश बाल विकास अधिनियम के तहत मामला राजस्व बोर्ड के समक्ष लंबित है, लेकिन अंतरिम राहत की याचिका राजस्व बोर्ड द्वारा खारिज कर दी गई है। उन्होंने आगे बताया कि याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम राहत के लिए आवेदन राजस्व बोर्ड के समक्ष लंबित रहने के दौरान रिट-बी संख्या 5192/2025 दायर की थी, जिसका निपटारा इस न्यायालय ने दिनांक 15.12.2025 के आदेश द्वारा किया था, जिसमें राजस्व बोर्ड को याचिकाकर्ताओं द्वारा दिनांक 13.11.2025 को दायर स्थगन याचिका पर छह सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था और विवादित भूमि की प्रकृति और कब्जे के संबंध में पक्षों को आठ सप्ताह की अवधि या स्थगन याचिका के निपटारे तक, जो भी पहले हो, यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने आगे बताया कि राजस्व बोर्ड ने अंतरिम राहत की याचिका को मनमाने ढंग से खारिज करते हुए विवादित आदेश पारित किया है, इसलिए विवादित आदेश को रद्द किया जाना चाहिए और राजस्व बोर्ड के समक्ष पुनरीक्षण याचिका लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई अंतरिम राहत प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में इस न्यायालय के 2007 (102) आरडी 498 में प्रकाशित निर्णय, अली शेर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, कलेक्टर, बिजनौर और अन्य पर भरोसा जताया।

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता और ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस मामले में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका लंबित है, इसलिए याचिकाकर्ता को इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका के बजाय पुनरीक्षण की कार्यवाही का विरोध करना चाहिए।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का अध्ययन किया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि यूपीसीएच अधिनियम की धारा 49 के तहत वर्जित होने के कारण मुकदमे की बर्खास्तगी के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका राजस्व बोर्ड के समक्ष लंबित है, लेकिन अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया है।

7. इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15.12.2025 को रिट-बी संख्या 5192/2025 में पारित पूर्ववर्ती आदेश का अवलोकन प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है:

"1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रतिवादी-गांव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री अविनाश चंद्र श्रीवास्तव को सुना गया।

2. यह याचिका निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर की गई है:-

"(i) प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 24.11.2025 को केस संख्या आरईवी/5489/2025/मथुरा (कंप्यूटरिकृत केस संख्या एएल20250150005489) श्रीमती अंगूरी देवी और अन्य बनाम अतिरिक्त उप-विभागीय अधिकारी, द्वितीय मथुरा और अन्य के समक्ष उत्तर प्रदेश जनेऊ अधिनियम की धारा 333 के तहत पारित आदेश को निरस्त करने के लिए सर्टिओरारी की प्रकृति का रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए, उस सीमा तक जहां तक प्रतिवादी संख्या 1 ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अंतरिम आदेश नहीं दिया है।"

(ii) याचिकाकर्ताओं द्वारा केस संख्या आरईवी/5489/2025, मथुरा (कंप्यूटरिकृत अपराध संख्या एएल20250150005489) श्रीमती अंगूरी देवी और अन्य बनाम अतिरिक्त उप-विभागीय अधिकारी, द्वितीय मथुरा और अन्य के मामले में दिनांक 13.11.2025 को उत्तर प्रदेश भूमि अधिकार अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम की धारा 333 के तहत दायर स्थगन आवेदन पर इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय लेने का आदेश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

3. कुछ बहस के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वे अपनी पहली प्रार्थना पर जोर नहीं दे रहे हैं और केवल यह निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 को याचिकाकर्ता के दिनांक 13.11.2025 के स्थगन आवेदन पर निर्णय लेने के लिए उचित निर्देश जारी किया जाए, जो पुनरीक्षण संख्या 5489/2025 में पारित किया गया था, और साथ ही अंतरिम संरक्षण प्रदान किया जाए जैसा कि प्रथम न्यायालय द्वारा 19.1.2021 को प्रदान किया गया था, जिस पर प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इस याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 याचिकाकर्ता के दिनांक 13.11.2025 के स्थगन आवेदन पर इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से अधिकतम छह सप्ताह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार निर्णय ले।

5. आठ सप्ताह की अवधि तक या स्थगन आवेदन के निपटारे तक, जो भी पहले हो, पक्षकार विवादित भूमि की प्रकृति और कब्जे के संबंध में आज की स्थिति के अनुसार यथास्थिति बनाए रखेंगे।

8. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 144 के तहत मुकदमे की लंबितता के दौरान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश का अवलोकन भी प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है:

"आदेश पत्रक

न्यायालय: अतिरिक्त उप कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, आगरा, जिला: मथुरा, तहसील: सदर

वाद संख्या :- 02437/2020 कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-टी 202001500102437

श्रीमती अंगरी देवी बनाम गंगा राम आदि

अंतर्गत धारा 144, अधिनियम: उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006

19.01.2021 पत्रावली प्रस्तुत। प्रार्थी रामगोपाल पुत्र सोनपाल निवासी ग्राम राकौली भाग पाड़ल तहसील गोवर्धन जिला मथुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.11.2020 पर सुना। जिसमें उसके द्वारा अंकित किया है कि प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त भूमि में से बैनामा रनसिंह पुत्र होरी लाल निवासी नगला अक्खा भाग नैनूपट्टी के नाम दिनांक 22. 1.2020 को कर दिया है एव शेष भूमि को भी विक्रय करने की चेष्टा में है। वादी द्वारा बाद के साथ ही धारा 229डी ज०वि०अधि० का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी को भूमि या उसके अंश को विक्रय करने अथवा रहन करने से निक्षेपित किया जाय।

प्रार्थी के विद्वारा अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरान्त पत्रावली का अवलोकन किया न्यायहित में पक्षकारों को आदेशित किया जाता है कि वे विवादित आराजी पर वाद के निस्तारण तक मौके पर यथास्थिति बनाये रखें एवं विवादित सम्पत्ति को खुर्द बुंद करने से निषेधित किया जाता है

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



एवं मौके पर शांति व्यवस्था बनाये रखेंगे। पत्रावली वास्ते सुनवाई हेतु दिनांक 30.1.2021 को पेश हो।

अपर उपजिलाधिकारी (प्रथम)

मथुरा।"

9. इस न्यायालय ने अली शेर (उपरोक्त) के मामले में यह माना है कि अपील/पुनरीक्षण के लंबित रहने के दौरान अंतरिम सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए यदि अपील/पुनरीक्षण के तहत आदेश के गंभीर नागरिक परिणाम हों।

निर्णय के अनुच्छेद 4 और 5 प्रासंगिक हैं, जो इस प्रकार हैं:

"4. यह सर्वविदित है कि एक बार जब किसी उच्च न्यायालय द्वारा दीवानी परिणामों वाले आदेश के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण पर विचार किया जाता है, तो सामान्यतः स्थगन आदेश दिया जाना चाहिए ताकि स्थिति में अत्यधिक बदलाव न आए, जब तक कि न्यायालय, दर्ज किए जाने वाले कारणों से, यह न पाए कि स्थगन आदेश देने का कोई मामला नहीं है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मूल चंद बनाम राजा बुलंद शुगर इंडस्ट्रीज के मामले में कहा है।"

5. तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 16.11.2006 के विवादित आदेश को रद्द किया जाता है। रिट याचिका स्वीकार की जाती है। अपीलीय न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता की अपील का खारिज विधि के अनुसार यथाशीघ्र, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर करे, और अपील के निपटारे तक, विवादित भूमि की प्रकृति और कब्जे के संबंध में पक्षकार यथास्थिति बनाए रखें।

10. निचली अदालत द्वारा दी गई अंतरिम निषेधाज्ञा पर भी विचार करते हुए राजस्व बोर्ड को स्थगन आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश जारी करते समय इस न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम सुरक्षा के मद्देनजर, याचिकाकर्ता राजस्व बोर्ड के समक्ष पुनरीक्षण याचिका लंबित रहने के दौरान अंतरिम राहत का हकदार है।

11. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, इस याचिका का अंतिम खारिज करते हुए प्रतिवादी संख्या 1/ राजस्व बोर्ड, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को निर्देश दिया जाता

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



है कि वह याचिकाकर्ताओं की पुनरीक्षण याचिका पर पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर शीघ्रता से निर्णय ले। यह भी निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ताओं की पुनरीक्षण याचिका के निपटारे तक, पक्षकार विवादित भूखंड की प्रकृति और कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखें और विवादित भूखंड के संबंध में पक्षकारों द्वारा किसी भी तीसरे पक्ष का हित सृजित न किया जाए। निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी नहीं किया गया है, अतः यदि वे किसी भी प्रकार से आदेश से असंतुष्ट हैं तो वे आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

फरवरी 18, 2026

रामीज

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”